राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 00160/2024

महेश कुमार शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान–सरकार, जयपुर।
2. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान पुलिस, जयपुर।
3. महानिरीक्षक पुलिस, मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक प्रशासन भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 29.01.2024
आदेश की दिनांक : 31.01.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कांस्टेबल के पद पर जुलाई 2003 में की गई थी। सेवा की विशेष शर्ते नियम 2011 के तहत चयन समिति द्वारा चयन प्रक्रिया पूर्ण कर अपीलार्थी को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में पदस्थापित किया गया था। जिसकी पालना में महानिदेशक, राजस्थान जयपुर ने आदेश दिनांक 15.06.2013 के द्वारा अपीलार्थी का चयन होनेन के पश्चात् एसीबी में पदस्थापन किया गया। जिसकी पालना में अपीलार्थी ने 19.06.2013 को एसीबी में कार्यग्रहण किया तथा कार्यग्रहण करने के पश्चात अपीलार्थी को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में कांस्टेबल 462 आवंटित किए गये तब से अपीलार्थी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों में कार्यरत है। अपीलार्थी के खिलाफ एफआईआर संख्या 384/2022 दर्ज करने के आधार पर राजनीतिक रूप से सबक सिखाने के आशय से प्रत्यर्थी संख्या 3 ने नॉन–एप्लीकेशन माइंड से अपीलार्थी को प्रतिनियुक्ति पर मानते हुए आलौच्य आदेश दिनांक 08.10.2023 पिछली तारीख डालते हुए अपीलार्थी को प्रतिनियुक्ति पर मानते हुए प्रतिनियुक्ति निरस्त किया गया जबकि अपीलार्थी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में चयन

प्रक्रिया अपनाकर नियुक्त हुआ है। जिसकी पालना में निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 ने आलौच्य आदेश दिनांक 27.12.2023 के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया गया। जो कि अनुचित एवं विधि विरूद्ध है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर आलौच्य आदेश दिनांक 08.10.2023 व 27.12.2023 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी का पदस्थापन कांस्टेबल नं. 462, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर में पदस्थापित रखने के निर्देश दिये जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य